


588	NRCAPP -14835	Handway College of Education and Technology, Plot Number/Khasara No.-752, Street/Road- Dauraha Rd, Village/Town/City-Lawar, Post Office- Lawar, Tehsil/Taluka-Sardhana, Town/City-Lawar, District-Meerut(UP), State- Uttar Pradesh, Pin Code-250222	D.El.Ed.	2 Years	Two Unit (100 Students)	250 Part-XII	S.C.E.R.T., Lucknow, Uttar Pradesh
589	NRCAPP -14837	Dr. M C Saxena College of Education, Plot Number- 171-172, Street/Road- 171, Village/Town/City- Barawankala, Post Office- Kakori, Tehsil/Taluka- Lucknow, Town/City- Lucknow, District- Lucknow (UP), State- UP, Pin Code- 226101.	D.El.Ed.	2 Years	One Unit (50 Students)	250 Part-XII	S.C.E.R.T., Lucknow, Uttar Pradesh
590	NRCAPP -14840	R B S College, Plot Number/Khasara No.-12,29,1062, Street/Road- 0, Village/Town/City-Madora, Post Office- Baldev, Tehsil/Taluka- Mahavan, Town/City-Mathura, District-Mathura(UP), State- Uttar Pradesh, Pin Code-281301	D.El.Ed.	2 Years	Two Unit (100 Students)	250 Part-XII	S.C.E.R.T., Lucknow, Uttar Pradesh
591	NRCAPP -14865	Rajbir Singh Sikarwar College, Plot Number- 57, Street/Road- Narholi RD, Village/Town/City- Saidpur, Post Office- Baldeo, Tehsil/Taluka- Mahavan, Town/City- Mathura, District- Mathura (UP), State- UP, Pin Code- 281301.	D.El.Ed.	2 Years	Two Unit (100 Students)	250 Part-XII	S.C.E.R.T., Lucknow, Uttar Pradesh
592	NRCAPP -14911	Iqra Educational Institute, Plot Number- 115, Street/Road- 06, Village/Town/City- Mohammadpur Nawada, Post Office- Makhhanpur, Tehsil/Taluka- Shikohabad, Town/City- Makhhanpur, District- Firozabad (UP), State- UP, Pin Code- 205145.	D.El.Ed.	2 Years	One Unit (50 Students)	250 Part-XII	S.C.E.R.T., Lucknow, Uttar Pradesh
593	NRCAPP -14915	Nirmal Ganga Institute of Education, Plot Number/Khasara No.-46, Street/Road- NA, Village/Town/City- Pinoti, Post Office- Jargawan, Tehsil/Taluka- Dibai, Town/City-Bulandshahar, District-Bulandshahar(UP), State- Uttar Pradesh, Pin Code-202399	D.El.Ed.	2 Years	One Unit (50 Students)	250 Part-XII	S.C.E.R.T., Lucknow, Uttar Pradesh
594	NRCAPP -14916	Ramdhan Damodar Mahavidyalaya, Plot Number- 456K, 456M1, Street/Road- 00, Village/Town/City- Kasara, Post Office- Kasara, Tehsil/Taluka- Sadar, Town/City- Mau, State- UP, District- Mau(UP), Pin Code- 275102	D.El.Ed.	2 Years	One Unit (50 Students)	250 Part-XII	S.C.E.R.T., Lucknow, Uttar Pradesh
595	NRCAPP 14919	Vidya Mandir Shikshan Sansthan, Plot Number-548,549, Street/Road-0, Village/Town/City-Rahmat Nagar, Post Office-Maniram, Tehsil/Taluka- Sadar, Town/City-Gorakhpur, State- UP, District-Gorakhpur (UP), Pin Code-273007	D.El.Ed. (Addl.)	2 Years	One Unit (50 Students)	250 Part-XII	S.C.E.R.T., Lucknow, Uttar Pradesh


 प्रबन्धक/सचिव
 राजवीर सिंह शिकारवार क. अ
 सैदपुर बलदेव (मथुरा)

6. Languages	Three
7. Fine Arts/Performing Arts	Two
8. Health and Physical Education	One

Note: (i) If the students' strength for two years is one hundred only, the number of faculty shall be reduced to 8. The faculty in specialised areas and some of the pedagogic courses can be shared with the other teacher education programmes.

(ii) Faculty can be utilized for teaching in a flexible manner so as to optimize academic expertise available.

5.2 Qualifications

A. Principal / HOD

- Postgraduate degree in Sciences / Social Sciences / Arts/ Humanities with minimum 55% marks, and M.Ed./ M.A (Education) /M.El., Ed with minimum 50% marks.
- Five years teaching experience in a Teacher Education Institution.

Desirable : Degree/ Diploma in Educational Administration / Educational Leadership.

B. Perspectives in Education/ Foundation of Education; & Curriculum and Pedagogy

Teacher Education in D.El.Ed. should have Masters Degree in Social Science/ Humanities/ Science/ Maths/ Language with 50% marks, and M.Ed with 50% Marks or M.A (Education) with 50% marks [except (two) positions where the requirement shall be Postgraduate in Philosophy/Sociology/Psychology with 50% marks and B.El.Ed. or B.Ed. or D.El.Ed. with 50% marks, or M.Phil/ Ph. D in Education]

C. Physical Education

- Masters degree in Physical Education (M.P.Ed.) with minimum 50% marks.

D. Visual and Performing Arts

- Masters degree in Fine Arts/ Music/ Dance/ Theatre with 50% marks.

5.3 Administrative and Professional Staff

(a) Number

- | | |
|---|-----|
| (i) UDC/Office Superintendent | One |
| (ii) Computer Operator-cum Store Keeper | One |
| (iii) Computer Lab Assistant
(BCA/ B.Tech with Computer Science) | One |
| (iv) Librarian (With B. Lib) | One |

(b) Qualifications

As prescribed by State Government /UT Administration Concerned.

Note : In a composite institution, the Principal and academic, administrative and technical staff can be shared. There shall be one Principal, and others may be termed as HoDs.

5.4 Terms and Conditions of Service

The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the State Government/Affiliating body.

4. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, the State Government etc. as applicable and compliance of the following by the affiliating body, State Govt and also the concerned recognised Institution:-

- The affiliating bodies/State Govt. shall be required to verify the authenticity of the land & building documents with the required land & built up area as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.
- The affiliating body shall ensure that the institution is composite institution as per the definition of composite institution given in the NCTE Regulation, 2014. If at any stage, it is found that the institution as not a composite institution, the recognition, granted will be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution. However, in the existing institutions permitted for additional intake, shall have to ensure that they are to become composite gradually preferably the academic session 2016-17.
- The NOC of the affiliating body and staff approval thereof submitted by the institution, if found fake at any stage, the recognition, granted will be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution.

Blues
 सचिव / सचिव
 राजेश सिंह सिंकरवार कालेज
 सैदपुर बलदेव (मथुरा)

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

आदेश सं०/सम्बद्धता/ 15786-93

/2016-17 दिनांक: 24 अक्टूबर, 2016

कार्यालय झाप

शासनादेश सं० 2442/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 29.09.2016 द्वारा निजी संस्थान राजवीर सिंह सिकरवार कालेज, प्लाट नं०-57, ग्राम-सैदपुर, पो०- बलदेव, जनपद-मथुरा को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 से 29.07.2016 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृ०सं० / सम्बद्धता/ 15786-93

/2016-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
- 2- विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
- 3- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
- 6- प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा।
- 7- प्रबन्धक/सचिव राजवीर सिंह सिकरवार कालेज, प्लाट नं०-57, ग्राम-सैदपुर, पो०- बलदेव, जनपद-मथुरा।
- 8- गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

विषय- निजी संस्थान राजवीर सिंह सिकरवार कालेज, प्लाट नं०-57, ग्राम-सैदपुर, पो०- बलदेव, जनपद- मथुरा को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान राजवीर सिंह सिकरवार कालेज, प्लाट नं०-57, ग्राम-सैदपुर, पो०- बलदेव, जनपद- मथुरा को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 से 29.07.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 2442 (1) / 15-11-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, राजवीर सिंह सिकरवार कालेज, प्लाट नं०-57, ग्राम-सैदपुर, पो०- बलदेव, जनपद- मथुरा।
- 6- गार्ड फाइल।

राजेन्द्र सिंह
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।